डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार
और
संचार मंत्रालय, ब्राज़ील
के बीच
डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार और संचार मंत्रालय, ब्राज़ील जिन्हें इसमें इसके बाद "पक्ष" कहा गया है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाने तथा दोनों देशों में प्रवृत्त कानूनों, विनियमनों एवं नीतियों के अनुरूप डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं, और अपनी-अपनी क्षमताओं के साथ-साथ समानता, परस्पर लाभ और सम्मान के आधार पर निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं :

खंड 1

सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र होंगे :

1. सहयोग को सुगम बनाना जो प्रत्येक देश के मौजूदा विनियमनों के अनुसार अनुभव और जानकारी साझा करने में तालमेल करेगा।
2. दोनों पक्षों के सामान्य हितों के लिए कार्य करने की दृष्टि से, डाक संबंधी मामलों से जुड़े बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देना और प्रचार-प्रसार करना।
3. डाक क्षेत्र में अनुभव और नवीनतम परिवर्तनों का आदान-प्रदान और समर्थन करना, जिसमें सार्वभौमिक सेवा और सेवा-समाधान तक सीमित नहीं रहना शामिल है।
4. डाक क्षेत्र की नीतियों और विनियमनों को संरेखित करना और आदान-प्रदान करना, जिसमें डाक क्षेत्र के शासन, अनुपालन, क्षेत्र सक्षम योजनाओं और डाक क्षेत्र एवं कार्यकलापों को लाइसेंस देने के संबंध में मिले अनुभव व सीख को साझा करना तथा समर्थन करना शामिल है।
5. समावेशी विकास, संरचित ज्ञान विनिमय और प्रौद्योगिकीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
6. विश्व डाक संघ में चर्चित विषयों के संबंध में पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना।
7. समावेशी और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने वाले ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
8. इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत ऐसा कोई अन्य क्षेत्र जिस पर हस्ताक्षरकर्ता सहमत हों।

खंड 2

हस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित में से एक या अधिक के माध्यम से सहयोग करेंगे :

1. आधिकारिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के परस्पर दौरे।
2. कार्य सत्रों, प्रशिक्षणों, क्षमता निर्माण अभ्यासों और अन्य प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान मंचों का आयोजन और सह- आयोजन करना।

3. सूचना एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
4. दोनों पक्षों के परस्पर हितों के अनुसार रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त पहलों का विकास करना।
5. पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित कोई अन्य सहयोग।

खंड 3

हस्ताक्षरकर्ता एक स्वतंत्र सहयोग कार्यक्रम पर सहमत हो सकते हैं जो इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आता है और उन कार्यकलापों का सुझाव दे सकते हैं, जिन पर वे सहमत हैं। इसमें भागीदारी की विधि और इसकी सीमा, और कोई अन्य व्यवस्थाएं, जो आवश्यक हो, शामिल होंगी।

खंड 4

हस्ताक्षरकर्ता लिखित रूप में दो संपर्क अधिकारियों को नामित करेंगे, एक मुख्य और एक प्रतिस्थापी, जो इस समझौता ज्ञापन के कार्यक्षेत्र में प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और कार्यान्वयन की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

खंड 5

हस्ताक्षरकर्ता इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से व्यवसाय, सूचना, आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों से संबंधित किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का सम्मान करेंगे।

खंड 6

हस्ताक्षरकर्ता, सहमतियों के क्षेत्रों को छोड़कर इस समझौते के कार्यान्वयन से भिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए उनके बीच आदान-प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों का प्रयोग न करने हेतु प्रतिबद्ध है। वे, इसे प्रदान करने वाले पक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के पश्चात् भी सूचनाओं का आदान-प्रदान गोपनीय रहेगा।

खंड 7

हस्ताक्षरकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली अपनी सभी आवश्यकताओं की अपनी मौजूदा क्षमताओं के अनुसार पूर्ति करेगा।

खंड 8

इस समझौता ज्ञापन अथवा इसके किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन या व्याख्या के संबंध में दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, दोनों पक्ष अपने सामान्य हितों पर विचार करते हुए, परामर्श के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने हेतु कार्य करेंगे। ऐसे विवादों को निपटान के लिए किसी न्यायलय, प्राधिकरण अथवा किसी अन्य निकाय में नहीं ले जाना चाहिए।

खंड 9

यह समझौता ज्ञापन किसी भी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधियों अथवा समझौतों से उत्पन्न होने वाले दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करता है, जिनके प्रति कोई एक पक्ष बाध्य है।

खंड 10

दोनों पक्ष किसी भी सहयोगी गतिविधि अथवा परियोजना के निर्माण में अपने स्वयं के सलाहकारों के ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं।

खंड 11

I. यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

II. यह समझौता ज्ञापन पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त, यह 5 वर्ष की समान अवधि के लिए अपने आप से नवीनीकृत हो जाएगा, जब तक कि किसी एक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अन्य हस्ताक्षरकर्ता को इसकी अंतिम अवधि अथवा समाप्ति से छह (6) माह पहले पूर्व-लिखित सूचना देते हुए इस समझौता ज्ञापन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है।

III. इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी लिखित सहमति से संशोधित किया जा सकता है और इस खंड के पैरा । में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लागू किया जा सकता है।

IV. यदि यह समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया जाता है या नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो इसके प्रावधान उन कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों के लिए मान्य रहेंगे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, जब तक कि हस्ताक्षरकर्ता अन्यथा सहमत न हों।

"इसके साक्ष्य में, अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किए जाने पर, अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं"

नई दिल्ली में वर्ष 2026 के फरवरी माह के 20वे दिन पर दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए, इनमें से प्रत्येक अंग्रेजी, पुर्तगाली और हिंदी भाषाओं में है, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ में भिन्नता होने के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।"

भारत के संचार मंत्रालय के लिए

ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया
संचार मंत्री

ब्राजील के संचार मंत्रालय के लिए

फ्रेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो
संचार मंत्री